राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारीः– **धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या 113/21 (T.I.) उनवान

देवी सहाय पुत्र श्री गुटेरी जाति मीना निवासी नांगल मीना तहीसली मंडावर जिला दौसा राजस्थान

––सायल

बनाम

1. गुटेरी पुत्र टुण्डल
2. मिश्रीलाल पुत्र गुटेरी
3. धनकी देवी पत्नी रामेश्वर
4. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर

समस्त जातियान मीना निवासी नांगल मीना तहसील मंडावर जिला दौसा

5. सजन बाई पत्नी विनोद कुमार पुत्री रामेश्वर
6. मुकेशी बाई पत्नी मगरू पुत्री रामेश्वर

हाल निवासी माण्डोनी तहसील कुम्हेर(भरतपुर)

7. हरिकिशन पुत्र टुण्डल जाति मीना निवासी नांगल मीना तहसील मंडावर(दासा)
8. शाखा प्रबंधक सिंडिकेट बैंक शाखा मण्डावर तहसील मंडावर
9. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा मंडावर तहसील मंडावर
10. उप पंजीयक महोदय मंडावर तहसील मंडावर जिला दौसा।
11. राजस्थान सराकर जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मंडावर

––गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1. श्री धर्मसिह राजपूत एडवोकेट– सायल

2. श्री हरिसिंह मीना एडवोकेट–गैरसायलान

निर्णय दिनांक – 04/10/2022

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 38 के आराजी खसरा नम्बरान 320/0.08, 324/0.11, 406/0.04, 407/0.01 408/ 0.

01 कुल किता 05 कुल रकबा 0.25 हैक्टे. एवं खाता संख्या 39 के आराजी खसरा नम्बरान 316/0.29, 317/0.35, 318/0.16, 319/0.16, 396/0.18, 398/0.31, 399/0.20, 403/0.15, 404/0.16, 611/0.48, 614/0.09, 615/0.09, 615/0.19, 616/0.20 कुल किता 13 कुल रकबा 2.92 हैक्टे. वाके ग्राम नांगल मीना तहसील मंडावर जिला दौसा में स्थित है। जो सायल एवं गैर सायलान 1 लगायात 7 की पैतृक आराजी है। उक्त विवादित आराजी गैरसायल नंबर 1 गुटेरी एवं गैरसायल नंबर 7 हरिकिशन को उनके पिता टुण्डल से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। गैर सायल संख्या 1 की उम्र इस समय 90 वर्ष है तथा वह अक्सर बीमार रहता है तथा दीमागी हालत खराब रहने के कारण उनका ईलाज सायल द्वारा ही कराया जा रहा है। प्रतिवादी नं 1 दीमागी हालात का नाजायज फायदा उठाकर गैर सायल संख्या 2 सायल की बिना सहमति के ही अकेला ही उक्त सम्पति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने को तैयार है जबकि इसे इसका कोई अधिकार प्राप्त नही है।

दिनांक 29.06.2021 को सायल अपने घर पर ही था कि गैर सायल नंबर 2 गैर सायल नंबर 1 को खाली कागजों पर अगूंठा निशानी लगवा रहा था जबकि गैरसायल नंबर 1 की स्थिति ना तो अंगूठा निशानी लगाने की है और नाही वह यह सोच समझ सकता है कि मैं क्या कर रहा है तब मुझ सायल को जैसे ही मालुम चला तो मैंने गैरसायल से इस बाबत कहा तो वह कहने लगा कि मैं तो उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन, बेचान कराऊंगा एवं कुछ जमीन को मेरे नाम कराउंगा तथा तुझे कोई हिस्सा नही मिलेगा तो सायल ने उससे कहा भाई यह जमीन तो अपनी सभी की पैतृक सम्पति है जिसमें मेरा जन्म से ही अधिकार बनता है तुम इसे बिना मेरी सहमति के कैसे बेचान करवा सकते हों। तथा पिताजी की हालात खराब हैं वह अपना अच्छा बुरा सोचने की भी स्थिति में नही है उसके बावजूद भी आप खाली कागजों पर इनके अंगूठा निशनी लगवा रहे हो तब भी वह नही माना तथा वह उक्त आराजी को किसी भी दीगर व्यक्तियों को रहन, बय मुन्तकिल कराने पर आमादा है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया गया तो सायल को गैरसायल के कृत्य से भारी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति उसे किसी भी प्रकार से होना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान संख्या 1 लगा. 6 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2022 को प्रस्तुत किया कि गैर सायल गुटेरी की उम्र काफी है तथा काफी उम्र होने के कारण यह कहना कतई असत्य है कि वह

सोचने समझने में असमर्थ है। गैर सायल गुटेरी दीमागीतौर पर कतई स्वस्थ है वह अपना व अपने परिवार का भला बुरा अच्छी जानता है। गैर सायल यह अच्छी तरह जानता है कि उसके परिवारजन मेरे देवलोक गमन के पश्चात मेरे द्वारा छोडी गयी चल अचल सम्पति को लेकर आपस में झगडा फिसाद नही करें। इसी वजह से गैर सायल ने दिनांक 29.06.2021 को 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर महवा मण्डावर रोड से लगने वाले खेत खसरा नंबर 614 लगा. 616 को मेरे तीनों पुत्रों देवीसहाय, मिश्रीलाल व रामेश्वर जो फौत हो गया है उसके वारिस धनकी देवी, राजेन्द्र, सजनबाई, मुकेशी बाई में 1/3, 1/3 हिस्सा महवा मण्डावर रोड साईड का लाभ देते हुये बंटवारा का लिखकर नोटेरी से तस्दीक करवाया है।

गैरसायल गुटेरी को पेशन वृद्धावस्था मिलती है तथा बीमार होने की स्थिति में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार योजनाओं के द्वारा निशुल्क ईलाज किया जाता है। यह कहना कि गैरसायल गुटेरी की आराजी को गैरसायलान हडपना चाहते हैं कतई असत्य है बल्कि गैरसायल गुटेरी ने तो स्पष्ट रूप से लिखकर दिया हुआ है कि मेरे लडके आपस में झगडे नही तथा मेरे मरने के बाद मेरी सम्पति में सबको बराबर लाभ मिले। बल्कि सत्य यह है कि सायल महवा मण्डावर रोड साइड की आराजी खसरा नंबर 614 लगा 616 को स्वयं हडपना चाहता है तथा सायल ने अब तक गैर सायल गुटेरी की पेंशन प्रधानपंत्री कृषक योजना का सारा पैसा स्वयं ने ही बैंक से निकाल कर अपने काम ले रहा है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा के खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया। वकील सायलान द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा बावत निवेदन किया।

वकील गैरसायल नं. 01 लगायात 06 ने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि सायल महवा मण्डावर रोड साइड की आराजी खसरा नंबर 614 लगा 616 को स्वयं हडपना चाहता है। सायल ने प्रार्थना पत्र झूंठे एंव मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है। अतः इसे खारिज फरमाया जावें।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया गया तो पाया कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम नांगल तहसील महवा जिला दौसा संवत् 2051 विवादित भूमि गैरसायलान 1 व 7 की पैतृक जमीन है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–2076 के खसरा नम्बर 320, 324, 406 लगा. 408, 316 लगा. 319, 396, 398, 399, 403, 404, 611, 614 लगायत 616 ग्राम नांगल मीना तहसील

मंडावर में सायल के पिता एवं गैरसायलान 7 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। **सायल अपने पिता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी धोषणा चाहता है। जिसमें वादी के अधिकारों का निर्धारण गुणावगण के आधार पर किया जाना है। यदि दौराने वाद गैरसायलान द्वारा आराजी का विक्रय कर दिया गया तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से मुकद्माबाजी बढेगी। ऐसी स्थिति में मुकद्दमों की बाहुल्यता को रोकने के लिये सायल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतित होता है।**

इस प्रकार प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त सायल के पक्ष में साबित होता है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण संबंधित वाद पत्र के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बरान 320/0.08, 324/0.11, 406/0.04, 407/0.01 408/ 0.01 कुल किता 05 कुल रकबा 0.25 हैक्टे. एवं खाता संख्या 39 के आराजी खसरा नम्बरान 316/0.29, 317/0.35, 318/0.16, 319/0.16, 396/0.18, 398/0.31, 399/0.20, 403/0.15, 404/0.16, 611/0.48, 614/0.09, 615/0.09, 615/0.19, 616/0.20 कुल किता 13 कुल रकबा 2.92 हैक्टे. वाके ग्राम नांगल मीना तहसील मंडावर जिला दौसा में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनायें रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह,RAS)
उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)